मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

सहायक प्राध्यापक परीक्षा -2014

परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम

(1) परीक्षा योजना

(अ) अंक योजना:- लिखित परीक्षा हेतु कुल 400 अंक तथा साक्षात्कार हेतु कुल 50 अंक निम्नानुसार निर्धारित है :-

लिखित परीक्षा			**अंक**
प्रथम प्रश्न-पत्र	**सामान्य अध्ययन**		**100**
	खंड-अ	मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय	
	खंड-ब	1-पर्यावरण अध्ययन	
	खंड-स	2-उद्यमिता विकास	
	खंड-द	3-कम्प्यूटर कान्सेप्ट	
द्वितीय प्रश्न-पत्र	**पद से सम्बन्धित विषय**		**300**
		लिखित परीक्षा के कुल अंक	**400**
साक्षात्कार			**50**
		कुल अंक	**450**

(ब) प्रश्न-पत्र योजना :

(1) दोनो प्रश्न-पत्र वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्प) प्रकार के होंगें । प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प (A, B, C, D) होंगें । उत्तर पत्रक में संदर्भित प्रश्न क्रमांक के समक्ष स्थित उक्त विकल्पों में से सही विकल्प के गोले को परीक्षार्थी द्वारा **काले बालपाइंट पेन** से भरना होगा ।

(2) प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होगा जिसमें चार खंड होगें । प्रथम प्रश्नपत्र में 1-1 अंक के कुल 100 प्रश्न होंगे तथा उसका पूर्णांक 100 होगा ।

(3) द्वितीय प्रश्नपत्र पद से सम्बन्धित विषय का होगा जिसमें 2-2 अंकों के कुल 150 प्रश्न पूंछे जायेंगे । इस प्रकार इस प्रश्नपत्र का पूर्णांक 300 होगा ।

(4) प्रथम प्रश्न-पत्र की अवधि 90 मिनट तथा द्वितीय प्रश्न-पत्र की अवधि 2 घंटे की होगी ।

(5) भाषा से संबन्धित विषयों के प्रश्न-पत्र केवल संबन्धित भाषा में होंगें। शेष विषयों के प्रश्न-पत्र अँग्रेजी व हिन्दी दोनों भाषाओं में होंगें।

(स) लिखित परीक्षा में उत्तीर्णांक :

लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु आवेदक को प्रत्येक प्रश्नपत्र में 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा । मध्य प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग तथा नि:शक्त श्रेणी के आवेदकों को जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है , लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा । परीक्षा में कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा तथा सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है।

(द) साक्षात्कार :

लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर गुणानुक्रम में विभिन्न प्रवर्गों से भरी जाने वाली कुल रिक्तियों की संख्या के तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले आवेदक साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किये जायेंगे । साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होगें ।

(इ) अतिथि विद्वानों को देय वरीयता अंक :

मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के अतिथि विद्वानों को उनके अध्यापन अनुभव के आधार पर अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अभिप्रमाणित गणना–पत्रक के आधार पर अधिकतम 20 अंक की सीमा तक वरीयता अंक दिये जायेंगें।

(फ़) चयन विधि :–

अंतिम चयनफ़ल, लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में कुल प्राप्त अंकों के योग में अतिथि विद्वानों द्वारा प्राप्त वरीयता अंक को जोडकर प्राप्त कुल अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर घोषित किया जायेगा ।